स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमाकः एफ 4(1–टी)(1)/एसकेराकृवि/सी/2026/ 133 दिनांक : 10-08-2026

निविदा सूचना 02/2026-27

स्वामी केषवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीकानेर एवं इसके विभिन्न महाविधालयों/ अनुसंधान केन्द्रों व अधीनस्थ कार्यालयों जो कि राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं, के लिए निम्न प्रकार के सामान की आपूर्ति के लिए वर्ष 2026–27 हेतु मोहरबन्द निविदाये निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

कम सं.	विवरण	अनुमानित राशि (रूपयें)	धरोहर राशि (रूपयें)	निविदा प्रपत्र की राशि (रूपयें)	निविदा प्रपत्र बेचने की दिनांक एवं अन्तिम दिनांक एवं समय	निविदा प्राप्त होने की अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा खोलने कि दिनांक एवं समय
1	स्टेशनरी सामग्री	800000	16000	590/– 500+18 प्रतिशत जीएसटी	10.8.2026 प्रातः11.00बजे से 18.8.2026 1.00 बजे तक	18.8.2026 दोपहर 3.00 बजे	19.8.2026 दोपहर 1.00 बजे
2	कम्प्यूटर स्टेशनरी सामग्री	800000	16000	590/– 500+18 प्रतिशत जीएसटी	10.8.2026 प्रातः11.00बजे से 18.8.2026 1.00 बजे तक	18.8.2026 दोपहर 3.00 बजे	19.8.2026 दोपहर 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र के लिए राषि 590 रूपयें नकद या वित नियंत्रक के नाम देय डिमाण्ड ड्राफट देकर दिनांक 10.8.2026 से वित्त नियंत्रक कार्यालय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर से प्राप्त किया जा सकता हैं। जबकि धरोहर राशि के लिए निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफट वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विष्वविधालय, बीकानेर के नाम देय हो को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा ।

आंशिक या अपूर्ण निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वित्त नियंत्रक, स्वामी केषवानन्द राजस्थान कृषि विष्वविधालय, बीकानेर को होगा । निश्चित समय तथा दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
2. प्रभारी अधिकारी, सिमका को भेंजकर लेख हैं कि उक्त निविदा को विश्वविधालय एवं लोक उपापन की वेब साईट पर जारी करावें ।
3. नोटिस बोर्ड ।

वित्त नियंत्रक

स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय:बीकानेर

निविदा (दर संविदा) की शर्ते

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी – निविदा दाता को चाहिऐ की इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ ले ओर अपनी निविदा भेजते समय इनका कठोरता से पालन करें ।

1. निविदा को निविदा सूचना में दिए गए निर्देषो के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद किया जाना आवष्यक है।
2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदा दाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा ।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को निविदा दाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदा दाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. जी0एस0टी0 पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) प्रस्तुत करना होगा।
4. राज्य सरकार के जी0एस0टी0 (GST) प्रावधानों/नियमों की पालना आवष्यक रूप से की जायेगी।
5. निविदा प्रारूप नीली/काली स्याही के बॉलपैन से या टकंण से ही भरा जाएगा । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
6. दरे शब्दों एवं अंको में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एवं या/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरें जी0एस0टी0 सहित दर्शानी होगी।
7. दरें जी0एस0टी0 सहित गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषांगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए । माल की सुपुदर्गी क्रेता अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थानों/परिसरों पर दी जाएगी ।
8. विधि मान्य निविदा उनके प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से तक के लिए विधिमान्य होगी। उपरोक्त दर संविदा की अवधि नियमानुसार दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर बढाई जा सकेगी।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह माना जावेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दषा, स्पेषीफिकेषन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच करली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेषीफिकेसन आदि के आषय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. निविदा दाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा ।
11. (i) विषेष विवरण (स्पेसीफिकेषन्स) प्रदाय की गयी सभी वस्तुऐं बोली में निर्धारित स्पेसीफिकेषन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेषन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदो को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेषन के अनुरूप होना तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए ।

(ii) चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले में जहाँ कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा । केता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं स्पेसीफिकेषन के अनुरूप है तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय निविदा दाता/निविदा दाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(iii)वांरटी एवं गांरटी का खंडः निविदा दाता यह गांरन्टी देगा कि माल/ स्टोर्स/ वस्तुएं/सेवाऐं खरीदे जाने वाले उस /माल/स्टोर्स /वस्तुओ/सेवाओं की सुपुदर्गी के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरुप बनी रहेगी। ताकि इस तथ्य के बावजूद की क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं/सेवाओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो यदि 6 माह की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं/सेवाओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो केता उक्त मालों/स्टोर्स/ वस्तुओं/सेवाओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएगें, रद् करने के लिए अधिकृत होगा । ऐसे रद् किये जाने पर माल /स्टोर्स/वस्तु/सेवा विक्रेता/प्रदाता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद् करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होगें निविदा दाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद् कर दिया गया है बदल देगा, अन्यथा निविदा दाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्ते के उल्लघंन के कारण

उत्पन्न होगी । इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड iii में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदा दाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जो को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हें ऐसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें । निविदा दाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाये कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो ।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीनों एंव उपकरणों के मामले में निविदा दाता ऐसी शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रखरखाव (मेंन्टीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा । निविदा दाता किसी विषिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवष्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा चाहे वह मशीने या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा न हो । मॉडल में परिवर्तन के मामलों मे वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा । क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दषा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्टस खरीदना पसन्द कर सकेगा ।

12. निरीक्षण:

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्ति युक्त उचित समयों पर प्रदाय कर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निष्चय किया जायेगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मषीनों की सामग्री/मशीनों की कार्यक्षमता एवं कर्मकौषल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति रखेगा ।

(ख) निविदा दाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कषॉप/कार्यक्षेत्र का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्णपता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा । उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय नये रूप में प्रविष्ट हुए है, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा ।

13**सैम्पल:** अनुसूचि में अंकित वस्तुओं के लिए निविदा के साथ उचित रूप से तय की गई निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेगे । उन्हें सैम्पल यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेगें तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेगें । सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जायेगी यदि यह सैम्पल ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो उन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर./आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए । केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/ पॉलीथीन थैले में निविदा दाता के मुल्य से रखे जाने चाहिए।

14. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांधकर उसे उपयुक्त रूप में चिन्हित किया जायेगा तथा उस पर बोलीदाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूचि में नमूना है, आदि लिखे जायेगें ।

15. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि तक निःषुल्क रखा जायेगा । इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित (Retainted) किया जायेगा परन्तु उसमे किसी क्षति टूटफुट, परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए विष्वविधालय उत्तरदायी नहीं होगी । निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदा दाता द्वारा सैम्पलों को वापिस लिया जायेगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी । संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें विष्वविधालय द्वारा सम्प्रहत (Forefeit) कर लिया जाए तथा उनकी लागत आदि के कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

16. असफल निविदा दाता/निविदा दाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये नमूनों को इकट्ठा किया जायेगा । जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट फुट, या परीक्षण, जाँच आदि के दौरान हानि के लिए विष्वविधालय उत्तरदायी नहीं होगी । जो नमूनें वापस नहीं लिये जायेगें उन्हें सम्प्रहत किया जायेगा । तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावें को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

17. सप्लाई जब भी प्राप्त की जायेगी उनका निरीक्षण यह सुनिष्चित करने के लिए किया जायेगा कि स्पेसीफिकेषन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है जहाँ आवष्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगषालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों जैसे श्रीराम टेस्टिंग हाउस नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जायेगा तथा सप्लाई किया गया समान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेषीफिकेषन्स के स्तर के अनुरूप पाया जायेगा, उन्हे स्वीकार किया जायेगा।

18. सैम्पल निकालना : (Drawing of Samples): परीक्षणों के मामले में, निविदा दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटो में सैम्पल लिये जायेगें तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहर बंद किया जायेगा । उनमें से एक सेट उन्हें दे दिया जायेगा एक या दो सेटो को प्रयोगषालाओं एवं/परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट सन्दर्भ/ अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा ।

19. परीक्षण प्रभार: परीक्षण प्रभार विष्वविधालय द्वारा वहन किये जायेगें । यदि निविदा दाता अत्यावष्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेषीफिकेषन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएगें ।

20. रद् करना (Rejection): (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद् किया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वार निष्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा ।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवष्यकता के कारण पूर्ण, या आंषिक रूप से उन वस्तुओं का बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदा दाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे

कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राषि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी ।

21. रद् की गयी वस्तुओं को निविदा दाता उन्हें रद् करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदा दाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा ।
22. निविदा दाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन के सामान्य स्थिति में उन्हें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्ति को माल की सुपुर्दगी अच्छी दषा में प्राप्त हो सके । किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी होने के कारण मामले में, निविदा दाता मांग प्राप्त कर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जाँच/निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं किसी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जायेगी ।
23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी सतुंष्टि के अनुसार नहीं की जाती है,तो निविदा दाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है । वह इस प्रकार का निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।
24. निविदा दाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहर्ता (Disqualification) होगी ।
25. (i) सुपुर्दगी/सेवा प्रदायगी अवधिः बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेष जारी होने की तारीख से आदेश में विहित अवधि के भीतर तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
1.	2.	3.	4.
1	मुद्रण कार्य	आवश्यकतानुसार	आदेशानुसार

(ii) दर संविदा अनुबन्ध अवधि को / मात्रा को नियमानुसार RTPP अधिनियम 2012/नियम 2013 के तहत बढाने/घटाये जाने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः सक्षम होगा।

(iii) दर संविदा अनुबन्ध अवधि/मात्रा को पारदर्शिता नियम 2013 के नियमों के अनुसार वृद्धि करने हेतु क्रेता अधिकारी पूर्णतः अधिकृत होगा।

26. बोली प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी):

(क)बोली के साथ बोली प्रतिभूति राषि का डिमाण्ड ड्राफट प्रस्तुत किया जाए । इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा । बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफट वित नियंत्रक स्वामी केषवानन्द राजस्थान कृषि विष्वविधालय, बीकानेर के नाम देय हो संलग्न करना होगा ।

(ख) बोली प्रतिभूति राषि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money): असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राषि बोली को अन्तिम रूप में स्वीकार करने के बाद सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद लौटाई जावेगी ।

(ग) बोली प्रतिभूति राषि से छूट उन फर्मो को जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.50 प्रतिषत की दर पर निविदा प्रतिभूति राषि जमा करानी होगी ।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई निविदा प्रतिभूति राषि प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं है।

(ड) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली व रद्द की गयी संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए निविदा प्रतिभूति राषि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित पास जमा निविदा प्रतिभूति राषि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राषि/ प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राषि को उपयोग में लिया जा सकता है ।

27. बोली प्रतिभूति राषि का समपहरणः बोली प्रतिभूति राषि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा–

(i) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है ।

(ii) जब निविदा दाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(iii) जब निविदा दाता प्रदायगी के लिए आदेष देने के बाद निष्पादन प्रतिभूति राषि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेष के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

28. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit):

(i) सफल निविदा दाता को आदेष के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि अथवा आदेश में विहित अवधि के भीतर प्रारूप 17 में विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य का एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदा स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 (पांच) प्रतिषत के बराबर (निविदा प्रतिभूति राशि को समायोजित करते हुए) निष्पादन प्रतिभूति जमा

करानी होगी । यह निष्पादन प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी, विहित अवधि के भीतर जमा करायी जाएगी । साथ ही राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998(संशोधन 2017) की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड(एफ) के अनुसार अनुबंध राशि, जो सफल निविदा दाता द्वारा वहन किये जावेंगे, 500/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किये जावेंगे ।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी निविदा प्रतिभूति राषि को प्रतिभूति की राषि के लिए समायोजित किया जाएगा । प्रतिभूति की राषि किसी भी दषा में निविदा प्रतिभूति राषि से कम की नहीं होगी ।

(iii) प्रतिभूति राषि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(iv) प्रतिभूति राषि बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैंक/एफडीआर के रूप में स्वीकार्य होगी एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75(3) के प्रावधानों के अनुरूप स्वीकार्य होगी ।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय/सेवा प्रदायगी आदेष के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई/सेवा प्रदान करने से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी/सेवा प्रदायगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदा दाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है, प्रतिभूति राषि का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) (i) आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनमें लिए वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेषक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर निविदा प्रतिभूति राषि के भुगतान से आंषिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के 1 (एक) प्रतिषत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राषि जमा कराने से मुक्त होगें ।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राषि को पूर्ण या आंषिक रूप से निम्नलिखित मामलों से समपहत किया जाएगा–

(क) जब संविदा शर्तो का उल्लघन किया गया हो ।

(ख) जब निविदा दाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एव उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदा दाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःषुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

29. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा । यदि सामान भेजा दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदाकर्ता (सप्लायर्स) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिषत दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए ।

(;iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैंसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता हे तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

(iv) भुगतान करने के लिए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदा दाता द्वारा वहन किए जाएगें।

30. **बीमाः**

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दषा में सुपुर्द किए जाएगें । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी नाष या क्षय द्वारा या आग बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दगें आदि) द्वारा हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शखाओं से कराया जाना चाहिए ।

31. **भुगतानः**

(i)ब निविदा दाता को आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान/सेवा की सुपुर्दगी/प्रदायगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किए जाएगें ।

(iii) जब विवादस्पद मदो के संबंध में, राषि के 10 से 25 प्रतिषत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। विवाद पर अन्तिम निर्णय वित्त नियंत्रक,स्वाकेराकृविवि,बीकानेर का मान्य होगा ।

(iv) उन मामलो के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेषन के अनुरूप होगें ।

32. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विर्निदिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर आपूर्ति करना होगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति/शास्ती (Liquidated damages): परिनिर्धारित क्षति/शास्ती के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिषतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदा दाता सप्लाई करने में असफल रहा है–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिषत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक अवधि किन्तु विहित अवधि की आधी से अनधिक के लिए 5 प्रतिषत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिषत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिषत

(2) विलम्ब की अवधि में आधें दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

(3) परिनिर्धारित क्षति/शास्ती की अधिकतम राषि 10 प्रतिषत होगी ।

(4) यदि आपूर्तिकर्ता/प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल/सेवा की सप्लाई/प्रदायगी को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेष दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई/प्रदायगी पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल/सेवा की सप्लाई/प्रदायगी करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाता के नियत्रंण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति/शास्ती सहित या रहित की जा सकेगी ।

33. वसूलियाः परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद् की गई सेवाओं के लिए साधारण रुप से बिल मे से की जावेगी। कम सप्लाई टूट–फूट/रदद किये गये शास्ती सेवाओं की सीमा तक राषि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि आपूर्तिकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो शास्तीयों (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राषि (डयूज) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडी आर एक्ट या प्रवृत किसी उन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

34. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद् कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विषेषरूप से उल्लिखत ने किया गया हो ।

35. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदाको जो आवष्यक रूप से न्युनतम दर की बोली की नहीं है, स्वीकार करने, बिना किसी कारण बताये किसी भी निविदा को रद् करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

36. बोली के लिए बोली दस्तावेज, सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संषोधन आदेषो में कय/प्रदायगी से संबंधित षर्ते बोली का भाग जोगी ।

37. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा ।

38. बोली(बोलीयां) निर्धारित दिनांक व समय के पष्चात स्वीकार नहीं होगी ।

39. बोली कि दर संविदा कि दरें दिनांक तक मान्य रहेगी ।एवं उक्त अवधि के पष्चात आवष्यकता पडने पर राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार आपसी सहमति के साथ बढाई जा सकती हैं ।

40. प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देषित एवं निर्धारित समयावधि के पष्चात प्रदायगी करने पर कार्य कि कुल लागत का 10 प्रतिषत कि सीमा तक ष्षास्ती (समिति द्वारा निर्धारण उपरान्त) लागू होगी ।

41. संलग्नक ए, बी, सी, डी, बोली कि षर्तो का भाग होंगें ।

42. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–
    (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरषिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।
    (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ कामर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।
    (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

43. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आषय या संविदा की शर्तो के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर